(101)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2085–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–6–12 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, इंदौर प्रकरण कमांक 0/2012.

———

माईल स्टोन टाऊनशिप प्रा0लि0
तर्फे श्री शशांक शेखर यादव पुत्र
श्री देवेन्द्र सिंह यादव,
निवासी 158, ऑर्बिट माल,
स्कीम नं0 54, ए0बी0 रोड, इंदौर ——— आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा पटवारी हल्का नं0 6
ग्राम निहालपुर मुण्डी जिला इंदौर ——— अनावेदक

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ।
अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र शुक्ला ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15/12/16 को पारित)

———

आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, इंदौर द्वारा अपील प्रकरण कमांक 0/2012 में पारित आदेश दिनांक 25–6–12 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार द्वारा ग्राम निहालपुर मुण्डी के भ्रमण के दौरान यह पाए जाने पर कि आवेदक कंपनी का ग्राम निहालपुर मुण्डी की शासकीय भूमि सर्वे नंबर 918 एवं 921 पर बेजा कब्जा है । आवेदक को लिखित सूचनापत्र दिनांक 26–4–12 को दिया गया तथा मौका पटवारी से भी जांच प्रतिवेदन लिया गया । पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया । आवेदक की ओर से सूचनापत्र का

जबाव प्रस्तुत किया गया जिसमें अतिकमण न किये जाने का लेख किया गया तथा यह भी अनुरोध किया गया कि पटवारी से शासकीय भूमि की नपती कराकर उसे चिन्हित किया जाये तथा कंपनी की संपूर्ण भूमि की नपती कराकर उपलब्ध करादी जाये । तदुपरांत तहसीलदार ने आदेश दिनांक 20–6–12 द्वारा पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक कंपनी द्वारा अतिकमण किया जाना प्रमाणित मानते हुए आवेदक पर 40 लाख रूप्ये अर्थदण्ड आरोपित किया गया और आवेदक को एक सप्ताह में वादोक्त भूमियों से अपना बेजा कब्जा हटाने के आदेश दिए गए । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की तथा स्थगन की प्रार्थना की परंतु अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थगन न दिए जाने के कारण आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 248 के प्रावधानों पर विचार न करते हुए मनमाने तरीके से आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया गया कि संहिता की धारा 129 के तहत सीमांकन में प्रार्थी को व्यक्तिगत सूचनापत्र नहीं दिया गया और न आस पड़ोस के भूमिस्वामियों को सूचनापत्र दिया गया है । ऐसी स्थिति में पटवारी द्वारा किया गया सीमांकन कानून अवैध होकर उस आधार पर प्रस्तुत प्रतिवेदन अवैध होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानूनन अवैध है ।

यह तर्क दिया गया कि तहसीलदार द्वारा प्रार्थी के साक्ष्यों को अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा इस तथ्य को अनदेखा किया गया है म0प्र0 नगर ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत नक्शा अनुसार कॉलोनी में आने जाने का रास्ता व पाईप लाइन संबंधी नक्शा स्वीकृत किया गया था ऐसी स्थिति में तहसीलदार ने स्वीकृत अभिन्यास के विरूद्ध अतिकमण आदेश पारित करने में त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया कि सर्वे नंबर 903 के अंश रकबा में ड्रेनेज लाइन निरंतर हेतु डाली गई है तथा उद्यान सार्वजनिक है इसे किसी प्रकार अतिकमण

नहीं माना जा सकता है । इसी प्रकार भूमि सर्वे नंबर 921 नपती के दौरान स्वयं पटवारी द्वारा प्रदाय की गई थी । सर्वे नंबर 918 एवं 921 नाला होकर उसके अंश रकबा 0.041 पर मिट्टी डालकर रास्ता बनाया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि तहसीलदार द्वारा म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा स्वीकृत नक्शा अनुसार कॉलोनी में आने जाने का रास्ता व पाईप लाइन संबंधी नक्शा स्वीकृत किया गया था । पाईप लाईन डालने से जल प्रवाह को सुगम किया गया है तथा बरसात में नाले के दोनों ओर की भूमि से मिट्टी के कटाने को भी रोका जा सकेगा । पाईप लाइन के ऊपर की भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया गया है और ना ही किसी को बेचा गया है । इस संबंध में आवेदक अधिक्ता द्वारा राजस्व विभाग के नोटीफिकेशन दिनांक 31–3–16 को प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार आवेदक पर कम्पाउन्डिंग चार्ज लगाकर उक्त कार्य को नियमित किया जा सकता है ।

यह तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत अपने जबाव में यह निवेदन किया गया था कि सरकारी भूमि पर खूंटा लगा दिया जाये तथा उक्त भूमि कंपनी के निर्माण से अलग करादी जाये क्योंकि इसके पूर्व भी तीन बार सीमांकन होने पर अतिकमण नहीं पाया गया था । इस तथ्य को अनदेखा कर तहसीलदार ने पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर एकपक्षीय तौर पर जो आदेश पारित किया है वह निरस्ती योग्य है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायदृष्टांत 2006 आर0एन0 218 (उच्च न्यायालय), 1989 आर0एन0 13, 1975 आर0एन0 408, 1972 आर0एन0 177 एवं 1968 आर0एन0 136 का हवाला दिया गया है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह उचित है और उसे स्थिर रखा जाना चाहिए । शासन के परिपत्र दिनांक 31–3–16 के संबंध में कहा गया कि आवेदक उक्त परिपत्र के आधार पर कलेक्टर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है ।

5/ जबाव में आवेदक अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि इस संबंध में उनके द्वारा समय–समय पर आवेदन दिये गये हैं । जिलाध्यक्ष के समक्ष भी शासन के

परिपत्र दिनांक 31–3–16 के आधार पर कार्यवाही करने हेतु आवेदन पेश किया गया है परंतु उनका कोई निराकरण अभी तक नहीं किया गया है ।

6/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण संहिता की धारा 248 का है । इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा अपना आदेश पटवारी प्रतिवेदन को आधार मानकर पारित किया गया है । प्रस्तुत प्रकरण में पटवारी के कथन के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य नहीं है । पटवारी द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व आवेदक के स्वामित्व की भूमियां का सीमांकन तथा स्थल निरीक्षण आवेदक के समक्ष किया गया था, इसका कोई उल्लेख तहसीलदार के आदेश में नहीं है । जबकि आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत अपने उत्तर में यह अनुरोध किया गया था कि पटवारी से शासकीय भूमि की नपती कराकर उसे चिन्हित कर दिया जाये तथा कंपनी की संपूर्ण भूमि की नपती कराकर उपलब्ध करादी जाये, इसका उल्लेख तहसीलदार ने अपने आदेश में किया है । इसके उपरांत भी सीमांकन एवं स्थल निरीक्षण प्रश्नाधीन स्थल का आवेदक के समक्ष नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार का आलोच्य आदेश न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है । न्यायदृष्टांत 1989 आर0एन0 313 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 248– अतिकमण की कार्यवाही सीमांकन एवं स्थल निरीक्षण अतिकामक की उपस्थिति में किया जाना चाहिए – ऐसी प्रकिया का अनुसरण किए बिना अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई कार्यवाही अपूर्ण है । इस न्यायदृष्टांत में यह भी अभिनिर्धारण किया गया है कि – भू–राजस्व संहिता, 1959 – धारा 248 सबूत का भार राज्य पर है – पटवारी का प्रतिवेदन एवं कथन – अन्य साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं – अतिकमण साबित नहीं होना माना जा सकता । उक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में तहसीलदार का आदेश उचित नहीं ठहराया जा सकता है । आवेदक द्वारा यह भी कथन तहसीलदार के समक्ष किया गया था कि पूर्व में तीन बार सीमांकन हो चुका है जिसमें कोई अतिकमण नहीं पाया गया किंतु इसके संबंध में कोई विवेचना तहसीलदार ने अपने आदेश में नहीं की है । तहसीलदार ने आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक द्वारा जबाव में उल्लिखित आधार क्यों मान्य योग्य

नहीं है इस पर भी कोई विवेचना अपने आदेश में नहीं की है । अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय को जो आदेश है वह न्यायिक एवं विधिसम्मत न होने से स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–6–12 निरस्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित कार्यवाही समाप्त की जाती है तथा यह निगरानी स्वीकार करते हुए प्रकरण कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि तहसीलदार स्तर के अधिकारी से मौके पर जांच कराई जाये और यदि यह पाया जाये कि शासकीय नाले की भूमि के दोनों ओर आवेदक कंपनी की भूमियां है और आवेदक कंपनी द्वारा शासकीय नाले की भूमि पर पाईप तथा मिट्टी इत्यादि डालकर रास्ता बनाया गया है तो म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक – एफ–6–17/2015/सात/नजूल भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2016 के आधार पर पुल/पुलिया निर्माण की अनुमति हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाये । यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि शासकीय नाले की भूमि के अतिरिक्त अन्य शासकीय भूमि पर यदि कोई अतिकमण पाया जाये तो तहसीलदार द्वारा शासकीय भूमि एवं आवेदक की भूमियों का सीमांकन एवं स्थल निरीक्षण आवेदक की उपस्थिति में एक साथ कराया जाये और तत्पश्चात आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए नये सिरे से प्रकरण का विधिवत निराकरण किया जाये ।

(मनोज गोयल,)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर